राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष नं. 0141–2701596
E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/TAF/2019–20/10465 दिनांक 17/2/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा–समस्त जिले।

विषय :– शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र (TAF) द्वितीय छः माही (1 जुलाई 2019 से 31 दिसम्बर 2019) ऑनलाइन अपलोड कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि मानव संसाधन विकास, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2019–20 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र (TAF) अन्तर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों एवं संस्थाप्रधानों के कार्यो का स्व–मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाईयों व चुनौतियों के आंकलन एवं शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस गतवर्ष की भाँति तैयार किया जाना हैं। इस हेतु राज्य की आवश्यकतानुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित किया गया हैं। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश आपको पूर्व में भिजवाये गये है।

प्रत्येक संबंधित शिक्षक एवं संस्थाप्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन रूप से भरा जाना है। अतः पूर्व में जारी दिशा–निर्देशानुसार **शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र द्वितीय छः माही (1 जुलाई 2019 से 31 दिसम्बर 2019)** से संबंधित समस्त कार्यो को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित कराऐं।

आवश्यक निर्देश :–

1. प्रत्येक शिक्षक एवं संस्थाप्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन रूप से भरा जाना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन Staff Window> Staff Login द्वारा भरा जाएगा।
2. शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर आवश्यक टिप्पणी संबंधित नियंत्रण अधिकारी (विद्यालय/पीईईओ/सीबीईओ) के लॉगिन से की जाऐगी।
3. **शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, द्वितीय छःमाही (जुलाई से दिसम्बर 2019) की ऑनलाइन फीडिंग समस्त शिक्षकों द्वारा 29.02.2020 तक पूर्ण की जानी है।**
4. पीईईओं लॉगिन, सीबीईओ लॉगिन एवं एडीपीसी लॉगिन पर उपलब्ध TAF की रिपोर्ट का नियमित अवलोकन कर सम्बन्धित अधिकारी निश्चित समयावधि में उनके अधीनस्थ समस्त शिक्षकों/संस्थाप्रधानो से TAF की ऑनलाइन फीडिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.आर. बागडिया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/TAF/2019–20 10465 दिनांक 17/2/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
4. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, एनआईसी को भेजकर लेख है कि **शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र द्वितीय छः माही (1 जुलाई 2019 से 31 दिसम्बर 2019) की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु आवश्यक मॉड्यूल को लाइव कराया जाने का श्रम करावें।**
5. संयुक्त निदेशक, समग्र शिक्षा, समस्त संभाग।
6. उपनिदेशक, शाला दर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
9. पीईईओ, समस्त।
10. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त–द्वितीय

D:\d drive\SIOF 2015\SIOF 2018\Quality Letter/Letter